न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर

पीठासीन अधिकारी — राधेश्याम मीणा (RAS)

प्रकरण संख्या – 47/22 — दायर दिनांक 29-11-22

CCMS No. 2022/350

रामजीलाल पुत्र ओंकारनाथ जाति ब्राह्मण निवासी नारौली तहसील भुसावर (भरतपुर) — — प्रार्थी

बनाम

(1) राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर
(2) सहा० अभियन्ता PWD भुसावर (भरतपुर) — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136, 133 LRA
अधिवक्ता – (1) श्री छोटेलाल मीना – प्रार्थी
(2) पैरोकार सरकार – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 20-01-25

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 133, 136 LRA पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० खसरा नं. 686 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम नारौली में स्थित है जिसमें से 19 बिस्वा महकमा इंजीनियरिंग के लिए अवाप्त हो गई इसके पश्चात खसरा नं. 686 रकबा 5 बीघा 08 प्रार्थी की व खसरा नं. 921/686 रकबा 19 बिस्वा महकमा इंजीनियरिंग के खातेदारी दर्ज कर दिया तथा नक्शे में अवाप्त की गई आराजी को सड़क के रूप में गहरे काली लाइन से दर्ज कर दिया गया। चूंकि उक्त आराजी के बीचों बीच में होकर सड़क निर्माण करते हुए किया गया जिसकी वजह से प्रार्थी की खातेदारी की आराजी दो भागों में तरफ पूर्व व पश्चिम को बंट गई। किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 870 व 921/686 रकबा 19 बिस्वा नया खसरा नं. 871 बनाये गए जो कि मौके पर विपरीत बनाये गए हैं जिसके नक्शा ट्रेस में आ० खसरा 870 खसरा 871 हेतु का एक ही नक्शा बना दिया गया और खसरा नं. 871 रकबा को प्रार्थी की आराजी के तरफ पूर्व की ओर न्यायालय अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी के खातेदारी के बीचों बीच सड़क बनी हुई है तथा मौके पर दोनों तरफ ही प्रार्थी का कब्जा व काश्त है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर पूर्व अनुसार नक्शा ट्रेस में अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलबशुदा रजि० डाक के को गई नोटिस की तामील में तहसीलदार भुसावर द्वारा अवगत कराया कि मौके पर प्रार्थी खसरा नं. 871 (सड़क) के पश्चिम भाग व पूर्वी भाग पर काबिज काश्त है अतः उपरोक्त हमने बहस अधिवक्ता एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नं. 871 (सड़क) के पश्चिम की तरफ खसरा नं. 870 तथा खसरा नं. 871 सड़क के पूर्व तरफ प्रार्थी का रकबा है जो खसरा नं. 870/1 दर्ज नक्शा ट्रेस किया जावे यानि खसरा नं. 871 को दोनों खसरा नं. के मध्य पूर्व के नक्शा ट्रेस में दर्शाई गई गहरी काली स्याही से दर्शाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-01-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)